संख्याः-08/2020/124/अड़तीस-9-20-500(39)/2013टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊः दिनांक 09 अप्रैल 2020**

विषयःविधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के वर्ष 2020-21 में अस्थाई स्थगन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कोविड-19 से चिकित्सा क्षेत्र में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के सम्यक् प्रबन्धन हेतु बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश को इस विषय पर भविष्य के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावी अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण तथा इससे सम्बन्धित अनुसंधान कार्यों/विश्व स्तरीय विशेषज्ञ संस्था की स्थापना आदि पर कार्य करने की आवश्यकता है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अस्थाई रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत करा दें।

3- उपरोक्तानुसार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी किये गये संगत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव ।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2020/124/अड़तीस-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा एवं परीक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- समस्त मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी)।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा,/मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
16- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
17- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
18- गार्डबुक।

आज्ञा से,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।